# फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

**प्रार्थी : श्री पुष्करलाल** बनाम **विपक्षी : श्री ग्राम पंचायत चारगदिया व अन्य**

**किस्म मुकदमा – धारा 75 भू राजस्व अधिनियम** **पत्रावली संख्या : 03/24**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण |
|---|---|

दिनांक : 17.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। ग्राम पंचायत चारगदिया द्वारा नामान्तरण संख्या 751 दिनांक 05.07.2002 को पारित किया जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश किया तथा जानकारी से अपील प्रस्तुत किया जाना बताया। अतः जानकारी से अपील अन्दर मयाद होने से देरी की अवधि को कन्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता अपीलान्ट के कथनानुसार अपीलग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के पिता कना पिता रामा गाडरी के नाम 1/8 हिस्से राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। अपीलान्ट के पिता कना पिता रामा गाडरी के देहावसान के बाद विरासत से अपीलग्रस्त आराजीयात का नामान्तरण ग्राम पंचायत चारगदिया द्वारा नामान्तरण संख्या 751 दिनांक 05.07.2002 को पारित किया गया जिसमें मुझ अपीलान्ट का सहवन से गलत नाम खुमाण अंकित कर दिया गया जबकि मेरे सभी सरकारी दस्तावेजो में नाम पुष्करलाल अंकित है। ग्राम पंचायत चारगदिया द्वारा बिना जांच एवं पुछताछ किये मुझ अपीलान्ट का नाम खुमाण पिता कना अंकित कर दिया जबकि मेरा सही नाम पुष्करलाल पिता कना गाडरी है। अतः अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत चारगदिया द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 751 दिनांक 05.07.2002 को अपास्त कर अपीलान्ट का नाम खुमाण पिता कना के स्थान पर पुष्करलाल पिता कना गाडरी किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील का जवाब पेश नहीं किया। [illegible] है।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। हमने पाया कि ग्राम पंचायत चारगदिया द्वारा दिनांक 05.07.2002 को खातेदार कना पिता रामा गाडरी फौत होने से नामान्तरण संख्या 751 दिनांक 05.07.2002 को पारित कर मृतक खातेदार के वारिसान के रूप में श्रीमती कालीबाई पत्नी स्व. कना, खुमाण पिता कना को दर्ज किये के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bohediya
Date: 2026.01.15 14:54:09 IST
Reason: Self Attested

संख्या 751 दिनांक 05.07.2002 को पारित करते समय अपीलान्ट का नाम खुमाण गलत अंकित कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम पुष्करलाल है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, राजकीय माध्यमिक विद्यालय केदारिया के टी.सी. फॉर्म की प्रति, ग्राम पंचायत चारगदिया द्वारा पारित भूमि पट्टे की प्रति पेश की उक्त दस्तावेजो में अपीलान्ट का नाम पुष्करलाल पिता कना गाडरी अंकित है जिससे अपीलान्ट का यह कथन स्पष्ट है कि अपीलान्ट का सही एवं वास्तविक नाम पुष्करलाल पिता कना गाडरी है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती है।

## —:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम की आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चारगदिया द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 751 दिनांक 05.07.2002 को खातेदार खुमाण के हिस्से तक अपास्त किया जाता हैं तथा मौजा निमडी पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078—81 की खाता संख्या नया 406 में खातेदार खुमाण पिता कना के नाम को संशोधित करते हुये खुमाण पिता कना के स्थान पर पुष्करलाल पिता कना किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:54:09 IST
Reason: SelfAttested